

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(सेवानिवृत्ति) अलेसे-11/

दिनांक:- 11/06/2015

प्रमाण पत्र

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3(ख)(1)/अलेसे-11/10817-10887 दिनांक 05.1.2015 आदेश संख्या 132/2014-2015 द्वारा कम संख्या 9 पर अंकित श्री महावीर सिंह (लिंक नम्बर 8867) के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.5.2015 से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे, के कम में प्रमाणित किया जाता है कि श्री महावीर सिंह के विरुद्ध आज तक -

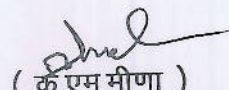
1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।



(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ख)(सेवानिवृत्ति)अलेसे-11/12099 -12104 दिनांक :- 11/06/2015
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष.....।
3. कोषाधिकारी
4. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
5. उपनिदेशक(एसीपी) को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्रीसहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11, कार्यालय.....
7. निजी/ रक्षित पत्रावली।



(क.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-11)